न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः-(मांगी लाल) RAS
वादपत्र अन्तर्गत धाराः- 88, 53, 188 आर.टी.ए.
प्रकरण संख्याः- 502/2024

विनोद कुमार पुत्र लेखराम जाति नायक निवासी फतेहगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़ -:वादी

बनाम

1 लेखराम पुत्र रतीराम नायक जाति नायक निवासी फतेहगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़
2 प्रमोद पुत्र स्व. बलराम पुत्र लेखराम जाति नायक निवासी फतेहगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़
3 जयप्रकाश पुत्र स्व. बलराम पुत्र लेखराम जाति नायक निवासी फतेहगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़
4 महेन्द्र पुत्र लेखराम जाति नायक निवासी फतेहगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़
5 रमेश पुत्र लेखराम जाति नायक निवासी फतेहगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़
6 तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ -:प्रतिवादीगण

उपस्थित :-
1. श्री अनिल शर्मा – अधिवक्ता वादी
2. श्री नवदीप कड़वासरा – अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ता 5
3. राज पैरोकार – प्रतिवादी सं. 6

-:निर्णयः-

दिनांक 04.07.2025

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह है कि वाद में पक्षकारांन का पंजीबद्ध पता वाद शीर्षकानुसार है जोकि सही है एवं पत्र व्यवहार हेतु पंजीबद्ध हैं।

यह कि वाद की अन्तर्वस्तु को समझने के लिए सजरा खान दान निम्न प्रकार से हैः

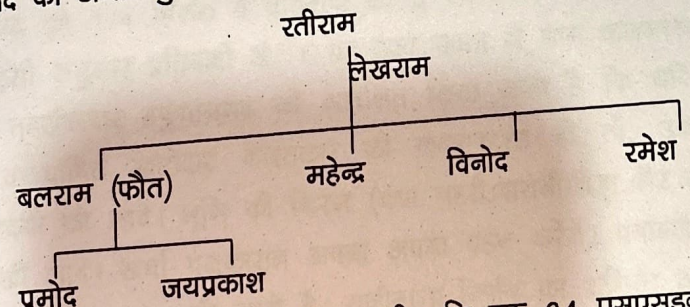

यह कि वादी के पैतृक हक हिस्सा की भूमि चक 24 एसएसडब्ल्यू के प.नं. 113/312 (18) कि. नं. 6/5, 6/6, 6/7, 7/1, 8/1, 9/1, 10/4, 10/5, 11/1, 11/2, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 15/3 कुल 1.8400 है. भूमि जो कि प्रतिवादी संख्या पिता लेखराम के नाम से राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हैं। प्रमाणित जमाबंदी सलंग्न वाद पत्र हैं।

यह कि वाद पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित भूमि मे वादी एवं [illegible] पैतृक हक हिस्सा निहित है। उक्त भूमि मे वादी का मुताबिक वंशावली 1/5 हिस्सा [illegible] बनता है किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिकारों पर विपरित असर पड़ता है इसलिए वादी अपने हक हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी हैं।

यह कि वाद पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित भूमि जोकि प्रतिवादी के नाम होने के कारण उक्त भूमि को प्रतिवादी उक्त भूमि को अन्यत्र रहन बैय मुन्तकिल करने पर उतारू है यदि प्रतिवादीगण ने मिली भगतकर रकबा को अन्यत्र रहन बैयकर दिया व वादी के रकबा में दखलअदाजी की तो वादी को अपूरणीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.07.22 14:[illegible]:03 IST
Reason: SelfAttested

क्षति होगी इन तात्विक परिस्थितियों में वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण शाश्वत व्यादेश इस आश्समा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वाद पत्र की मद सं. 3 मे वर्णित भूमि को अन्यत्र रहन बैय करने व वादी के कब्जा म हस्तक्षेप करने से ममनू बाज रहें।

यह कि वादी ने कई दफा प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वादी के हक हिस्सा की घोषणा करवा दो पहले तो टल-मटोल करते रहें गतसप्ताह इन्कार हो गए यही वाद कारण हैं।

यह कि वाद श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जोकि उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत हैं।

अतः वाद-वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद निम्न प्रकार से स्वीकार फरमाया जावें।

(क) कि वादी को वाद पत्र की मद संख्या 3 मे वर्णित भूमि के मुताबिक हक हिस्सा की घोषणा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

(ख) कि मुताबिक हक हिस्सा अच्छी मे से अच्छी मंदी मे से मंदी का विभाजन का खाता अलग कायम किया जावें।

(ग) कि शाश्वत व्यादेश इस आश्य का फरमाया कि वाद पत्र की मद सं. 3 मे वर्णित भूमि मे वादी के कब्जा मे हस्तक्षेप व रकबा अन्यत्र रहन बैय ना करें।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की ओर से अधिवक्ता श्री नवदीप कड़वासरा ने वकालतनामा पेश किया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 ने दावा में राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया। वादी की ओर से शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया गया। वाद पत्र कोई विरोध नहीं होने के कारण तनकीयत कायम नहीं की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस उभयपक्ष ने मुताबिक राजीनामा के दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया। उपलब्ध दस्तावेजों व राजीनामा के आधार पर वाद, वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-ःक्रियात्मक आदेशः-

अतः वाद वादी निर्णित किया जाता है व मुताबिक राजीनामा घोषणा की जाती है किः- चक 24 एसएसडब्ल्यू के प.नं. 113/312 (18) कि.नं. 6/5, 6/6, 6/7, 7/1, 8/1, 9/1, 10/4, 10/5, 11/1, 11/2, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 15/3 कुल 1.840 हैक्टेयर भूमि में वादी विनोद कुमार को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 प्रमोद व प्रतिवादी सं. 3 जयप्रकाश को 1/4 हिस्सों ब.हि.ब. व प्रतिवादी सं. 4 महेन्द्र को 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 5 रमेश को 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार प्रतिवादी सं. 1 का उक्त खाता से नाम कलमजन किया जाए। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार की कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत् रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन [illegible] नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है। राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग [illegible] से लिखवाया

निर्णय आज दिनांक 04.07.2025 [illegible]

जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

नोटः- रकबा रहन हो तो बाद रहन के निर्णय की पालना की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.07.22 14:47:01 IST
Reason: SelfAttested

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ